फर्द अहकाम

सरकार बनाम पूरणसिंह वगै०

ालय

ा 169/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	कमली देवी, रामचन्द, हरिसिंह अरसिंह की ओर से एड० रामशंकर शर्मा ने आज भी मवाद पेश नहीं किया। अतः इस मवाद बन्द किया जाता है। शेष अपराधियों बावजूद सूचना के अनुपस्थित इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही काल में लाई जावे है। पत्रावली बाते रहा हेतु दिनांक 26/11/19 को पेश हो। (विश्वामित्र मीणा) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
26/11/19	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व एड० श्री रामशंकर उपस्थित। रहा हेतु समय चाहे है। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29/11/19 को पेश हो। (विश्वामित्र मीणा) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
29/11/19	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व अपराधी वकील श्री रामशंकर शर्मा बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 131,132 LR Act को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। (विश्वामित्र मीणा) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.15 13:06:23 IST
Reason: SelfAttested